

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0 ..... / 2020

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन/अनुमति से वंचित छात्र/छात्रा का दिनांक 22.08.2020 से 25.08.2020 की अवधि में—(1) पंजीयन/अनुमति आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाईन भरने (2) पंजीकृत/अनुमति प्राप्त छात्र/छात्रा के मूल पंजीयन/अनुमति कार्ड में परिलक्षित त्रुटि के सुधार करने तथा (3) ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने संबंध में आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन/अनुमति से वंचित छात्र/छात्रा, पंजीकृत/अनुमति प्राप्त छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने हेतु समिति के वेबसाईट [www.biharboard.online](http://www.biharboard.online) पर ऑनलाइन विद्यालय प्रधान के माध्यम से पंजीयन/अनुमति से वंचित छात्र/छात्रा का आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ भरने तथा उनका निर्धारित शुल्क जमा करने, पंजीकृत/अनुमति प्राप्त छात्र/छात्राओं के मूल पंजीयन/अनुमति कार्ड में परिलक्षित त्रुटियों के सुधार करने तथा परीक्षा आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु अवधि दिनांक 22.08.2020 से 25.08.2020 तक निर्धारित की जाती है।

2 (2.1) उक्त के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति के उक्त वेबसाईट पर पंजीयन/अनुमति से वंचित/छूट गए छात्र/छात्रा का पंजीयन/अनुमति आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ विद्यालय प्रधान के माध्यम से निर्धारित अवधि (दिनांक 22.08.2020 से 25.08.2020) में ऑनलाइन भरा जायेगा एवं तदनुसार भरे गये आवेदन के आधार पर ही निर्धारित अवधि (दिनांक 22.08.2020 से 25.08.2020 तक) में ही ऐसे परीक्षार्थियों का मूल पंजीयन/अनुमति कार्ड समिति द्वारा जारी किया जायेगा।

(2.2) यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परीक्षार्थियों के जारी मूल पंजीयन/अनुमति कार्ड के साथ-साथ पूर्व से पंजीकृत/अनुमति प्राप्त छात्र/छात्रा, जिनका मूल पंजीयन/अनुमति कार्ड पूर्व से ही समिति द्वारा जारी किया गया है, में परिलक्षित किसी प्रकार की त्रुटि यथा-छात्र/छात्रा के नाम, माता-पिता के नाम के स्पेलिंग, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, कोटि, लिंग, विषय आदि से संबंधित सुधार विद्यालय प्रधान के माध्यम से उक्त अवधि (दिनांक 22.08.2020 से 25.08.2020) में ही किया जायेगा। यदि किसी छात्र/छात्रा के MIL & SIL विषय एवं दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिपूर्ण हो, तो उसे अनिवार्य रूप से निर्धारित अवधि में विशेष ध्यान देकर संशोधन करना/कराना अपेक्षित है। तदनुसार ही छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन भी विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन भरा जायेगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा। इसके लिए समिति की विज्ञप्ति संख्या पी0आर0-180/2020 एवं 184/2020 पूर्व से विस्तृत निदेश के साथ निर्गत है।

3. सभी कोटि के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि विद्यालयों के छात्र/छात्राओं का पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र ससमय सुगमता से भरा जा सके :-

3.1 विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश (Instructions Regarding Eligibility of the candidates) - विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश (Instructions Regarding Eligibility of the candidates) 01 मार्च, 2021 को परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 14 (चौदह) वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के छात्र/छात्राओं का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष पूरा करने हेतु विद्यालय अभिलेख में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना जन्म तिथि में सुधार किया जाना नियम के प्रतिकूल है। इसके लिए 01 मार्च, 2007 के बाद की जन्म तिथि के अभ्यर्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 के लिए पंजीकृत नहीं किये जायेंगे।

3.2 ऐसे कई मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिनमें छात्र-छात्राओं के द्वारा अपनी आयु कम करके पंजीयन/अनुमति आवेदन एवं शुल्क भरा जाता है और प्रधानाध्यापकों के द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है। सही जन्म तिथि अंकित नहीं रहने पर मेडिकल जाँच कराने की बाध्यता होती है एवं परीक्षाफल लंबित रखा जाता है। ऐसे मामले प्रमाणित होने पर संबंधित विद्यालय के प्रधान जिम्मेवार होंगे और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की बाध्यता होगी। इसलिए जन्म तिथि एवं निवास स्थान के संबंध में आश्वस्त होने के उपरान्त ही ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र में प्रविष्टि दर्ज करना आवश्यक होगा।



3.3 स्वतंत्र छात्र-छात्राओं के मामले में विद्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विनियमावली, 1964 के अध्याय 04 की धारा 03 के अन्तर्गत स्वतंत्र छात्र/छात्रा की पात्रता के संबंध में दी गई शर्तों के आलोक में बिहार राज्य का निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, क्षेत्र के मुखिया/सरपंच द्वारा दिये गये अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी के कार्यपालक दण्डाधिकारी से प्राप्त आयु संबंधी शपथ पत्र एवं आयु के संबंध में अन्य साक्ष्य या प्रमाण पत्र समेकित विवरणी के साथ संलग्न किया गया है।

4. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 से माध्यमिक स्तर के पंजीयन की मान्यता इन्टरमीडिएट के अनुरूप पंजीयन वर्ष से लगातार तीन परीक्षा वर्ष के लिए ही मान्यता दिये जाने एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए अनुमति की आवश्यकता के संबंध में :- शिक्षा विभाग के पत्रांक-09/बि0वि0प0स0-13/2019-330, दिनांक 24.06.2019 के माध्यम से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 से माध्यमिक स्तर के पंजीयन की मान्यता इन्टरमीडिएट के अनुरूप पंजीयन वर्ष से लगातार आगामी तीन (03) परीक्षा वर्ष के लिए मान्य तथा स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए अनुमति की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए पंजीयन के साथ-साथ अनुमति लेने का जो प्रावधान है, पंजीयन की मान्यता लगातार तीन (03) परीक्षा वर्ष के लिए मान्य होगी, परन्तु अनुमति केवल एक परीक्षा वर्ष के लिए ही मान्य होगी। इसलिए इन्टरमीडिएट के अनुरूप अनुमति लेना आवश्यक होगा, जिसके लिए विद्यालय प्रधान के माध्यम से पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाएगा और केवल अनुमति शुल्क जमा किया जाएगा।

5. शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या-314, दिनांक-07.06.2003 के अनुसार स्वतंत्र छात्र/छात्रा अपने निवास स्थान के मूल जिला में अवस्थित राजकीय अथवा राजकीयकृत विद्यालय से स्वतंत्र छात्र/छात्रा के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। इस हेतु उन्हें जिला के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। निवास के मूल जिला का निर्धारण आवासीय प्रमाण पत्र/पारिवारिक राशन कार्ड, माता-पिता के नाम की मतदाता सूची में प्रविष्टि जैसे प्रमाणों पर आधारित होगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे कहीं से भी इसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं।

6. पंजीयन/अनुमति आवेदन हेतु विलंब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् है:

| मद                             | नियमित कोटि के लिए | स्वतंत्र कोटि के लिए |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| ऑनलाईन पंजीयन आवेदन पत्र शुल्क | 50                 | 50                   |
| ऑनलाईन डाटा इन्ट्री शुल्क      | 20                 | 20                   |
| पंजीयन शुल्क                   | 150                | 150                  |
| अनुमति शुल्क                   | —                  | 100                  |
| विलंब शुल्क                    | 100                | 100                  |
| <b>कुल राशि</b>                | <b>320</b>         | <b>420</b>           |

7. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान सर्वप्रथम समिति के वेबसाइट [www.biharboard.online](http://www.biharboard.online) से पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र डाउनलोड कर संबंधित छात्र/छात्राओं को भरने के लिए उपलब्ध करा देंगे।

7.1 छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र को प्राप्त कर विद्यालय के प्रधान अपने स्तर पर उसे संधारित कर अपने कार्यालय में विधिवत् संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों से पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों का सावधानीपूर्वक मिलान कराकर आश्वस्त हो लेंगे कि उसमें अंकित सभी प्रविष्टियाँ विद्यालय के संगत अभिलेखों/नामांकन पंजी के बिल्कुल अनुरूप हैं।

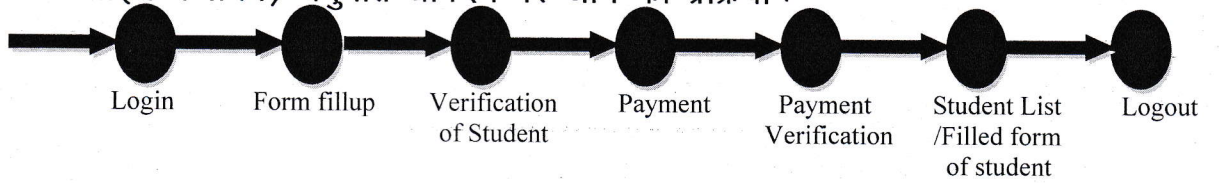
7.2 विद्यालय के प्रधान, जिन छात्र/छात्राओं का पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, वह प्रत्येक छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन भरे गए पंजीयन/अनुमति आवेदन की तीन प्रतियाँ समिति के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। दो प्रति अपने हस्ताक्षर/मुहर के साथ संबंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

8. निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन/अनुमति आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि इसके कारण किसी छात्र/छात्रा का पंजीयन/अनुमति नहीं होता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रधान का होगा।

(P.T.O)



9. ऑनलाईन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया :



(i) लॉग-इन के संदर्भ में :- विद्यालय के प्रधान के लिए समिति के वेबसाइट **www.biharboard.online** पर निदेश उपलब्ध रहेगा। विद्यालय के प्रधान समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त वेबसाइट पर लौगिन करने के लिये डिफॉल्ट यूजर आईडी0— **schoolcode@bseb.com** का प्रयोग करेंगे।

(ii) पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में :-

(a) लॉग-इन के उपरान्त विद्यालय से संबंधित विवरणी का पेज खुलेगा, जिसमें छात्र/छात्रा का विवरण भरकर Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

(b) Submit के उपरान्त छात्र/छात्रा का फोटो अपलोड पेज खुलेगा, जिसमें छात्र/छात्रा अपना फोटो तथा हस्ताक्षर (निर्धारित साईज में) अपलोड कर Save बटन पर क्लिक करेंगे।

(iii) छात्र/छात्रा से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन :- उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात पंजीयन/अनुमति आवेदन में छात्र/छात्रा का भरा गया विवरण, अपलोड किये गये फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ पूरा फॉर्म दिखेगा जिसमें डिक्लरेशन स्टेटमेंट के साथ लगे चेक बॉक्स को चेक करके Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो Edit बटन पर क्लिक कर के आवेदन को संशोधित कर Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

(iv) भुगतानके सत्यापन के संबंध में :-

(a) नगद भुगतान के स्थिति में चालान का जर्नल नम्बर सिस्टम में अंकित करना अनिवार्य है तथा जर्नल नम्बर प्रविष्ट करने के उपरान्त चालान की समिति की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा देंगे एवं विद्यालय प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे जिसकी आवश्यकता पड़ने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(b) ऑनलाईन भुगतान की स्थिति में पेमेंट कंफर्मेशन की प्रति प्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। आवश्यकता पड़ने पर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

10. **शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :-** विद्यालय प्रधान, समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से **www.biharboard.online** पर लॉग-इन कर पंजीयन/अनुमति शुल्क भुगतान के लिए "Make Payment" पर क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट के होम पेज पर दाहिने भाग में "Quick Link" में उपलब्ध रहेगा। पंजीयन/अनुमति आवेदन शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है :-

10.1 **ऑनलाईन भुगतान:-** ऑनलाईन पेमेंट डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। विद्यालय के प्रधान द्वारा किये गये ऑनलाईन भुगतान के संबंध में अपने बैंक खाता से निकासी हुई है या नहीं इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

10.2 **ई-चालान से नगद भुगतान:-** पंजीयन/अनुमति आवेदन शुल्क ई-चालान के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। विद्यालय के प्रधान ई-चालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई-चालान में अंकित बैंक खाता में ही हो।

ई-चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही केवल विद्यालय प्रधान की होगी। प्रत्येक चालान का अलग-अलग भुगतान आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाय।

11. **NEFT के माध्यम से भुगतान :-** विद्यालय प्रधान NEFT पर अंकित खाता संख्या, IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगे। Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जाएगी।



- विद्यालय के प्रधान NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें।
  - विद्यालय के प्रधान जिस बैंक के खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हों, उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अंकित Account No. में जमा कराना अनिवार्य है।
  - यदि NEFT से विद्यालय के प्रधान द्वारा किया गया भुगतान उसी खाते में वापस आ जाता है, तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक के Suspence Account में जमा हो जाती है। अतः विद्यालय प्रधान के प्रधान NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो गया है।
  - यदि पहली बार किसी बैंक के Account से शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा NEFT से भुगतान किया जा रहा हो तो उस बैंक में अपने Account का CIF नम्बर (स्पेशल कैरेक्टर रहित) जिसमें यदि कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा। तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में कोई आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
  - विद्यालय के प्रधान NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित Account No. पर ही भुगतान करेंगे। किसी अन्य Account No. पर किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा।
12. छात्र/छात्राओं की समेकित सूची के संदर्भ में :- विद्यालय पंजीकृत सभी छात्र/छात्राओं की समेकित सूची एवं भुगतान की प्रविष्टि देख सकते हैं तथा प्रिंट कर सकते हैं।
13. लॉग आउट :- विद्यालय उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसरण करने के बाद लॉग आउट कर सकते हैं।
14. ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व सूचनाओं/कागजातों को तैयार रखने के संदर्भ में अनुदेश:- ऑनलाईन आवेदन पत्र में वैध ई-मेल आईडी/आधार नंबर/मोबाईल नं० की प्रविष्टि करें। इन सूचनाओं की प्रविष्टि की बाध्यता नहीं है।
15. छात्र/छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में :-
- (i) फोटो का साईज एवं प्रकार :-  
Image Size :- 35 mm X 30 mm का हो।  
Head Size/Face Size :- 20 mm X 25 mm (approx 60 % to 70%)  
Background :- Plain White or Light Green
  - (ii) स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm width x 1 cm height) में हो तथा आकार 5-20 KB का होना चाहिए।
16. अन्य आवश्यक निर्देश :-
- 16.1 बैंक चालान के माध्यम से भुगतान करने के पश्चात् विद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि जर्नल नंबर की प्रविष्टि सिस्टम में कर ली गई है।
- 16.2 शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पेमेन्ट मोड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या बैंक चालान पेमेंट मोड उपलब्ध रहेगा।
17. यहाँ यह विशेष रूप से अंकनीय है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिससे सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अवगत हैं। इस परिदृश्य में उपर्युक्त कार्य के दरम्यान सभी विद्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये पंजीयन/अनुमति एवं परीक्षा आवेदनों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में काउन्टर लगाये जायें, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय। पंजीयन/अनुमति एवं परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के लिए उपस्थित होने वाले छात्र/छात्राएँ पर्याप्त आपसी दूरी पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर पंक्तिबद्ध रहते हुए फॉर्म जमा करेंगे। हरेक काउन्टर पर सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। विद्यालय प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा आवेदन पत्रों को जमा कराने के क्रम में अनावश्यक भीड़ न हो तथा उपस्थित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक यत्र-तत्र न थूकें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से अपने-अपने पंजीयन/अनुमति एवं परीक्षा आवेदनों को निर्दिष्ट काउन्टरों पर जमा करें।

(P.T.O)

18. ऑनलाईन पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर विद्यालय की सहायता हेतु हेल्प लाइन नं०-0612-2232074, 2232257, 2232239, 2230051 एवं 2232227 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा E-mail Id : [bsebsehlpdesk@gmail.com](mailto:bsebsehlpdesk@gmail.com) पर मेल भेज सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : के०-९५८ / 2020, पटना, दिनांक : २१ / ०८ / 2020

- प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. मे० डाटासॉफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा० लि० को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु में निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मुख्य प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, बुद्धमार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक, आई०टी० (माध्यमिक)/सिस्टम एनालिस्ट को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण की जाय।
6. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई०टी० तथा परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

२१/८/२०२०

२१/८/२०२०

३  
२१/८/२०२०